

बिहार सरकार
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार
शिक्षा विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 09/09/2025

संख्या-2/ए1-02/2023-2998 /सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-7सी0/परीक्षा-06-07/2016(17)/लो0से0आ0/गो0 दिनांक-11.07.2023 द्वारा प्रेषित विज्ञापन संख्या-06/2016 के अन्तर्गत व्याख्याता (सीमित) प्रतियोगिता परीक्षा के अंतिम संशोधित परीक्षाफल के आधार पर राज्य के सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों के विभिन्न विषयों के व्याख्याता के पदों पर नियुक्ति हेतु 05 (पॉच) सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा उपलब्ध कराई गई है।

02. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों का सत्यापन/काउन्सिलिंग का कार्य विभागीय स्तर पर दिनांक-01.09.2023 को सम्पन्न किया गया है।

03. विभागीय आदेश संख्या-963 दिनांक-23.08.2023 के विरुद्ध कुल 04 (चार) अभ्यर्थियों द्वारा सत्यापन/काउन्सिलिंग कार्य में भाग लिया गया।

04. सत्यापन एवं काउन्सिलिंग कार्य में भाग लिये उक्त 04 अभ्यर्थियों को बिहार शिक्षा सेवा (शोध एवं अध्यापन उप संवर्ग) के अन्तर्गत व्याख्याता (मूल कोटि) के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर-9 एवं अनुमान्य जीवन यापन भत्ता एवं अनुमान्य अन्य भत्तों के साथ औपबधिक रूप से परीवीक्षा पर नियुक्त कर उनके नाम के सामने स्तम्भ-10 में अंकित प्रशिक्षण संस्थान में निम्नवत् पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	रौल नं०	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	गृह जिला	स्थायी पता	श्रेणी	विषय	पदस्थापन का स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	601367	इमत्याज अनवर	अमीर उद्दीन	08/01/1978	किशनगंज	ग्राम-देशियाटोली पो0-मेहरगंज थाना-बहादुरगंज जिला-किशनगंज बिहार-855107	पिछड़ा वर्ग	योजना एवं शोध	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), सुपौल
2	600878	श्री पवन कुमार	श्री राम वृक्ष ठाकुर	06/05/1975	वैशाली	ग्राम-करताहॉ जगदीशपुर पो0-करताहॉ थाना-करताहॉ जिला-वैशाली बिहार-844119	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	योजना एवं शोध	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), जमुई
3	601800	श्री देवानन्द चौधरी	श्री राजकेश्वर चौधरी	24/05/1976	औरंगाबाद	ग्राम-टण्डवा पो0-टण्डवा थाना-टण्डवा जिला-औरंगाबाद बिहार-824302	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	योजना एवं शोध	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), अरवल
4	600142	श्री अशोक कुमार "आलोक"	श्री श्रीकान्त सिंह	25/11/1978	औरंगाबाद	ग्राम-अमारी अनन्त विगहा पो0-शंकरडीह थाना-गोह(उपहारा) जिला-औरंगाबाद बिहार-824203	पिछड़ा वर्ग	जन्तु विज्ञान	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), जहानाबाद

05. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

06. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ-पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाणपत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

07. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

08. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

09. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

10. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने जाने के लिये कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

11. योगदान के समय अभ्यर्थी को आयोग में आवेदन पत्र में दिये गये फोटो की प्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा अन्यथा ऐसे अभ्यर्थी का योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।

12. नियुक्ति के उपरान्त पदस्थापित पद पर प्रभार ग्रहण करने के समय संबंधित जिले/कार्यालय में विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा निश्चित रूप से समर्पित किया जायेगा।

13. सभी अभ्यर्थियों के मेधा का निर्धारण बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा प्राप्त संशोधित अनुशंसा के अनुसार किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(दिनेश कुमार)
निदेशक

ज्ञापांक 2/ए1-02/2023-2998/

पटना, दिनांक-09/09/2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक 2/ए1-02/2023-2998/


निदेशक
पटना, दिनांक-09/09/2025

प्रतिलिपि:-सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी/ सभी संबंधित प्राचार्य एवं सभी नव नियुक्त व्याख्याताओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

ज्ञापांक 2/ए1-02/2023-2998

पटना, दिनांक-09/09/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/ विशेष सचिव/अपर सचिव/ राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/ सभी निदेशक/ निदेशक(प्रशासन)-सह-अपर सचिव/ उप निदेशक(प्रशासन)/ उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक, विघटित शोध एवं प्रशिक्षण एवं संयुक्त निदेशक (प्रशासन), राज्य शिक्षा एवं शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

ज्ञापांक 2/ए1-02/2023-2998

पटना, दिनांक-09/09/2025

प्रतिलिपि:- इमत्याज अनवर,(रौल नं0-601367, विषय-योजना एवं शोध) पिता-अमीर उद्दीन, ग्राम-देशियाटोली, पो0-मेहरगंज, थाना-बहादुरगंज, जिला-किशनगंज, बिहार- 855107 को अभिप्रमाणित फोटोग्राफ के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

2. उन्हें निदेश दिया जाता है कि शैक्षणिक योग्यता, जाति एवं आवासीय से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ एक पक्ष के अन्दर निश्चित रूप से अपना योगदान संबंधित संस्थान/महाविद्यालय में समर्पित करेंगे।




निदेशक

ज्ञापांक 2/ए1-02/2023-2998

पटना, दिनांक-09/09/2025

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

ज्ञापांक 2/ए1-02/2023-2998

पटना, दिनांक-09/09/2025

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं प्रोग्रामर, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

ज्ञापांक 2/ए1-02/2023-2998/

पटना, दिनांक-09/09/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/ विशेष सचिव/अपर सचिव/ राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/ सभी निदेशक/ निदेशक(प्रशासन)-सह-अपर सचिव/ उप निदेशक(प्रशासन)/ उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक, विघटित शोध एवं प्रशिक्षण एवं संयुक्त निदेशक(प्रशासन), राज्य शिक्षा एवं शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

ज्ञापांक 2/ए1-02/2023-2998/

पटना, दिनांक-09/09/2025

प्रतिलिपि:- श्री पवन कुमार,(रौल नं0-600878, विषय-योजना एवं शोध) पिता-श्री राम वृक्ष ठाकुर, ग्राम-करताहॉ जगदीशपुर, पो0-करताहॉ, थाना-करताहॉ, जिला-वैशाली बिहार-844119 को अभिप्रमाणित फोटोग्राफ के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

2. उन्हें निदेश दिया जाता है कि शैक्षणिक योग्यता, जाति एवं आवासीय से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ एक पक्ष के अन्दर निश्चित रूप से अपना योगदान संबंधित संस्थान/महाविद्यालय में समर्पित करेंगे।



शिक्षण परिषद्


निदेशक

ज्ञापांक 2/ए1-02/2023-2998/

पटना, दिनांक-09/09/2025

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

ज्ञापांक 2/ए1-02/2023-2998/

पटना, दिनांक-09/09/2025

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं प्रोग्रामर, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

ज्ञापांक 2/ए1-02/2023-2998

पटना, दिनांक 09/09/2025

प्रतिलिपि:—माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/ विशेष सचिव/अपर सचिव/ राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/ सभी निदेशक/ निदेशक(प्रशासन)—सह-अपर सचिव/ उप निदेशक(प्रशासन)/ उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक, विघटित शोध एवं प्रशिक्षण एवं संयुक्त निदेशक(प्रशासन), राज्य शिक्षा एवं शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

ज्ञापांक 2/ए1-02/2023-2998

पटना, दिनांक 09/09/2025

प्रतिलिपि:— श्री देवानन्द चौधरी, (रौल नं०-601800, विषय-योजना एवं शोध) पिता—श्री राजकेश्वर चौधरी, ग्राम—टण्डवा, पो०—टण्डवा, थाना—टण्डवा, जिला—औरंगाबाद, बिहार—824302 को अभिप्रमाणित फोटोग्राफ के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

2. उन्हें निदेश दिया जाता है कि शैक्षणिक योग्यता, जाति एवं आवासीय से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ एक पक्ष के अन्दर निश्चित रूप से अपना योगदान संबंधित संस्थान/महाविद्यालय में समर्पित करेंगे।




निदेशक

ज्ञापांक 2/ए1-02/2023-2998

पटना, दिनांक 09/09/2025

प्रतिलिपि:— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

ज्ञापांक 2/ए1-02/2023-2998

पटना, दिनांक 09/09/2025

प्रतिलिपि प्रतिलिपि:— आईटी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं प्रोग्रामर, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

ज्ञापांक 2/ए1-02/2023-2998

पटना, दिनांक 09/09/2025

प्रतिलिपि:—माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/ विशेष सचिव/अपर सचिव/ राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/ सभी निदेशक/ निदेशक(प्रशासन)—सह-अपर सचिव/ उप निदेशक(प्रशासन)/ उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक, विघटित शोध एवं प्रशिक्षण एवं संयुक्त निदेशक(प्रशासन), राज्य शिक्षा एवं शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

ज्ञापांक 2/ए1-02/2023-2998

पटना, दिनांक 09/09/2025

प्रतिलिपि:— श्री अशोक कुमार "आलोक", (रौल नं०-600142, विषय-जन्तु विज्ञान) पिता-श्री श्रीकान्त सिंह, ग्राम-अमारी अनन्त विगहा, पो०-शंकरडीह, थाना-गोह(उपहारा), जिला-औरंगाबाद, बिहार-824203 को अभिप्रमाणित फोटोग्राफ के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

2. उन्हें निदेश दिया जाता है कि शैक्षणिक योग्यता, जाति एवं आवासीय से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं स्व अभिप्रमाणित फोटोग्राफ के साथ एक पक्ष के अन्दर निश्चित रूप से अपना योगदान संबंधित संस्थान/महाविद्यालय में समर्पित।



शिक्षा परिषद्


निदेशक

ज्ञापांक 2/ए1-02/2023-2998

पटना, दिनांक 09/09/2025

प्रतिलिपि:— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

ज्ञापांक 2/ए1-02/2023-2998

पटना, दिनांक 09/09/2025

प्रतिलिपि प्रतिलिपि:— आईटी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं प्रोग्रामर, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक